संचालनालय
महिला एवं बाल विकास, छत्तीसगढ़
ब्लॉक–1, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर
दूरभाष कमांक 0771–2234192, 2234188 (Fax) email : dirwcd.cg@nic.in

पत्र क्रमांक / 12144 / ICDS–01 / म.बा.वि. / 2022–23 नवा रायपुर, दिनांक 13 / 02 / 2023

प्रति,

1. जिला कार्यकम अधिकारी /
जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग,
जिला–..., छ.ग.

2. बाल विकास परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना
परियोजना– ...., छ.ग.

विषय :– **आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं / सहायिकाओं के अनिश्चित कालीन हड़ताल के फलस्वरूप सेवाओं के निरंतरता के लिए निर्देश।**

संदर्भ :– छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर का पत्र कमांक एफ 3–26 / 2016 / 50 पार्ट दिनांक 07.02.2023।

आप अवगत हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं / सहायिकाओं के संघ द्वारा अनिश्चित कालीन हड़ताल किया जा रहा है जिससे आंगनबाड़ी केन्द्र की सेवायें बाधित हो रही है। हड़तालरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के विरूद्ध निम्नानुसार कार्यवाही किया जाये :–

1. जिला स्तर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के संघ प्रमुखों को बुलाकर आंगनबाड़ी केन्द्र में उपस्थित होने हेतु समझाईश देवें।
2. यदि आंगनबाड़ी कार्यकर्तायें एवं सहायिकायें हड़ताल तोड़ने पर अड़िग रहती है तो हड़तालरत सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को लिखित में नोटिस जारी करते हुए 48 घंटे के भीतर कार्य पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित करें।
3. यदि आंगनबाड़ी कार्यकर्तायें एवं सहायिकायें कार्य पर उपस्थित नहीं होती है तो इन्हें पद से हटाने हेतु नियमानुसार युक्तियुक्त कार्यवाही की जाये।
4. आंगनबाड़ी केन्द्रों की सेवाओं की निरंतरता के लिए स्थानीय प्रशासन, नगरीय निकाय, पंचायतीराज संस्थायें, स्वास्थ्य विभाग के मैदानी अमले का सहयोग लिया जा सकता है इस हेतु जिला स्तर पर युक्तियुक्त विभागों / कर्मियों का चिन्हांकन कर सहयोग प्राप्त किया जाये।
5. हड़तालरत आंगनबाड़ी कार्यकर्तायें एवं सहायिकायें यदि हड़ताल निरंतर रखती है तो मानदेय का भुगतान लंबित रखा जाये।
6. पूर्व में भी वर्ष 2018 में कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं द्वारा अनिश्चित कालीन हड़ताल किया गया था। उक्त अवधि के काटे गये मानदेय का भुगतान केवल इस शर्त पर किया गया था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं द्वारा इसकी पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी।

Scanned by CamScanner

7. पुनः निर्देशित किया जाता है कि सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में सेवाओं की निरंतरता बनाये रखने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। स्थानीय स्तर पर स्व–सहायता समूह व मितानिन का सहयोग लेकर केन्द्रों के संचालन की कार्यवाही की जा सकती है। पूर्व में दिये गये निर्देश यथावत रहेंगे अर्थात् पर्यवेक्षक एवं सीडीपीओ का दायित्व रहेगा कि केन्द्रों में रेडी टू ईट वितरण की निरंतरता बनाये रखेंगे।
8. यदि किसी कार्यकर्ता अथवा सहायिका द्वारा रेडी टू ईट फूड अपने आधिपत्य में रखकर वितरण नहीं किया जाता है तो रेडी टू ईट फूड पर होने वाले हानि की वसूली संबंधित कार्यकर्ता अथवा सहायिका से की जायेगी।
9. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका हड़ताल पर नहीं गई है तो उन्हें आवश्यक सहयोग/सुरक्षा प्रदान करते हुए आंगनबाड़ी केन्द्र की सेवायें निरंतर रखा जाना सुनिश्चित करेंगे।
10. हड़तालरत आंगनबाड़ी कार्यकताओं एवं सहायिकाओं की संख्यात्मक जानकारी संचालनालय को प्रतिदिन प्रेषित किया जाये।

13/2/23

(दिव्या उमेश मिश्रा)
संचालक
संचा. महिला एवं बाल विकास
नवा रायपुर–छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/12142/ICDS–01/म.बा.वि./2022–23 नवा रायपुर, दिनांक13/02/2023

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय, मंत्रीजी, महिला एवं बाल विकास विभाग, रायपुर छत्तीसगढ़।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर छत्तीसगढ़।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ।
4. कलेक्टर, जिला–समस्त छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला–समस्त छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।

संचालक
संचा. महिला एवं बाल विकास
नवा रायपुर–छत्तीसगढ़

Scanned by CamScanner